

~~प्रमाणित करने का अधिकारी~~
प्रमाणित करने का अधिकारी 1908 का नाम
46 U.P.R.B.

23 I.A. with the permission
of L.R.D.C. Simdega
With Case No. 377/2016-17

order dated

25-11-16

१४ लेख्यकारी:- श्री जोन स्कूका पिता स्व० लुकस स्कूका,
जाति- उराँच, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- गोतरा
डिस्ट्रीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा।
आधार कार्ड संख्या 6123 3173 0755

प्रमाण-पत्र संख्या:-

551 2017 |

प्रमाण-पत्र अधिकारी
काला नगर काला
U.P.R.B. सिमडेगा
F.P. Vermer
03/03/17

Moh. Nasibullah Khan
S/o Late. Sabitullah Khan
V.H. Ichardan Tolli Man Road, Simdega
P.S & Distt. Simdega
3/3/17

John EKKA
3-3-2017



John EKKA
3-3-2017



03.3.17 10 fo

प्रादेशिक निवालक अधिकारी
निवालक के द्वारा (लालो) का / मानसिक
प्रादेशिक निवालक के द्वारा
निवालक के द्वारा लालो का
प्रादेशिक निवालक के द्वारा
प्रादेशिक निवालक के द्वारा
प्रादेशिक निवालक के द्वारा
प्रादेशिक निवालक के द्वारा
प्रादेशिक निवालक के द्वारा



3219 10 fo

४२४ लेख्यधारिणी:- श्रीमती मुक्ता केरकेटा पति श्री तेज कुमार
केरकेटा, जाति- खड़िया, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- बेलगढ़,
धाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

आधार कार्ड संख्या 3252 1015 8148

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

सम्पर्क संख्या:-

56 / 2017

४३४ लेख्यप्रकार:- विक्र्य पत्र केवला को कामी पुनर पुनरादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

४४४ मूल्य:- मोबिलिंग चार लाख अस्सी हजार रुपये ले के ५,८०,०००/- रुपये होता है ।

४५४ सम्पत्ति:- सराजियात अन्दर मौजा- गोतरा डिप्टीटोली, वार्ड नं० ५, धाना- सिमडेगा, धाना नं० ८०, सदर रजिस्ट्री

ऑफिस स्थो जिला- सिमडेगा के छाता नं० ५० ४ पचास० प्लॉट नं० ५१३८ ४ एकड़न सौ अड़तीस० रकड़ा ०.३७ एकड़ में से ०.१२ एकड़ ४ बारह डिसमिल ४ आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है संघ अन्य सड़क पर अवस्थित है ।

जिसकी घौषणा:-

उत्तर:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता, दक्षिण:- प्लॉट नं० ५१४७,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश नीज,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश नीज ।

मालगुजारी 2 पैसा ४ दो पैसा ४ अलावे सेस सलाना ।

Tej Kumar Kirtika
Son of Sambanee Kerkheta
R/o - Belgarkh P.O - Simdega
Dt - Simdega
03/03/2017

John Ekka
2 - 3 2017

४१४ दूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने स्वं अन्य दीगर घरेलू
खर्च के लिए रूपयों की ज़हरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे बगैर,
सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की
प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना स्वं रूपये देना स्वीकार किया ।

४२५ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में
रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी
के द्वाथ नगद कीमत द्युकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल
हक दछाना वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों
के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची
गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी
उत्तराधिकारी या स्थानापन्न को कोई हक सरोकार रहा और
न आइन्दा रहेगा ।

४३५ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन मेरे पिता
स्वं लुकस एक्का की खरीदगी जमीन है जिसे उन्होंने निबंधित
केवाला संख्या 325 दिनांक 20.6.1946 के द्वारा खरीदे हैं,
जिसका बुक नं० 1, भोल्युम नं० 2, पेज नं० 447 से 449 तक है ।
हमलोगों के बीच जमीन का आपसी भैयादी बेंटवारा होकर
उत्तराधिकारी दाखिल खारिज मेरे नाम से हुआ है जिसका
दाखिल खारिज वाद संख्या 428 आर 27/14-15 है तथा
मालगुजारी रसीद मेरे नाम से कटता है जो मंजी II के भोल्युम
संख्या ४११ पेज नं० 21 में दर्ज है । उक्त जमीन पर मेरा निर्विवाद
हक दछाना वो कष्ट है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झँझट
नहीं है । छतियान के अनुसार उक्त जमीन का सभी है जथा लगान

Jahnu EKKA
3-3-2017

पानेवाले का नाम मैनजर इन्कम्बर्ड इशटेट मीन जानीब टीकैत
शीरी निवास हुक्म सिंह देव दर्ज है। *संसद अधिकारी*

रूपत जगतु उर्मा० १५०० है। John Ekkka

४४४ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं 3-3-17

अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहत्ता
भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी
अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद
संख्या 377/2016-17 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 25.11.2016 को
प्राप्त हुई स्वं जिसका मेमो नं० १०६५५१००० दिनांक 25.11.2016 है।

४५५ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो
दखलकार होकर अपना जैसा स्थायिक का समझें अपने उपयोग में लावें
वो झारखण्ड सरकार, वज्रिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कायालिय
से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय
मालगुजारी के रसीद खास नाम से दासिल किया करें।

४६६ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला कैला कामी सदा दिन के
लिए लिखा दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त ज्ञरत पर काम आये।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-दबंदी, कैसरे हिन्द,
खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदौवस्ती, गैर मज़हआ के
तहत नहीं है।

John Ekkka
John Ekkka
John Ekkka

--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विश्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

John EKKA
3-3-2017



प्रमाणित किया जाएगा है कि जमीन विश्रीत जमीन सिलिंग के अपने बांद द्वारा को प्राप्त किया जानुवारियों का नियान नहीं रखता है।

Sophia Awan
3-3-2017

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो छोरीदगी के बांद कुण धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Mukta Patel
3-3-2017




प्रमाणित किया जाएगा है कि मुक्ता अवृद्धि के अपने बांद द्वारा को अंगूष्ठियों का नियान नहीं रखता।

Sophia Awan
3-3-2017

John EKKA
3-3-2017

उभय पक्षों के बहे अनुसार इस विक्र्य पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया रखें उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना औ समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

सही:-


3.3.2017
प्रारूपकर्त्ता

तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्र्य पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो खण्डन राहित वो नक्सा सहित है।

टंकक

मैराफ़क्कर
3.3.2017

मौ० मक्सुद
कच्छरी परिसर,
सिमडेंगा।

संलग्नक:-

- बिक्रेता, क्रेता रखनकर्त्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
- मैदान का मूल प्रति,
- आदेश रखने वाले रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
- छातियान का सत्यापित प्रति,
- मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
- ट्रेस नक्सा का मूल प्रति रखने वाले नक्सा का छायाप्रति,
- फ्लार्म संख्या । का मूल प्रति,

John Ekkar
3-3-2017